पत्रांक 10/ न4-20/ ....

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

दशरथ राम
विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

सेवा में,

अध्यक्ष
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक 01/06/11

विषय : **सीतामढ़ी सेन्ट्रल स्कूल, बाईपास रोड, सीतामढ़ी को अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या–238 दिनांक–03.04.2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, **सीतामढ़ी** से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा दी गई तथा **सीतामढ़ी सेन्ट्रल स्कूल, बाईपास रोड, सीतामढ़ी** को सी0 बी0 एस0 ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत है :–

1. यह विद्यालय **दिव्य शिक्षण एवं विकास संस्थान सोसाइटी** के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।

2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी/न्यास के फेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।

3. विद्यालय को **2 एकड़ भूमि** 35 वर्षो की लीज पर उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपस्कर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर सुनिश्चत करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाऐं बोर्ड के मानक के अनुरूप है।

4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। विद्यालय में 16 शिक्षक हैं। सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है।

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को सुनिश्चत करना होगा।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 में उल्लेखित घोषित शर्तें स्वीकार है।

अपेक्षित शर्त्ते के अनुसार :–

(i) विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निः शुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय 2,00,000/– रूपया प्रतिवर्ष से कम होगा को रखा गया है।

(ii) विद्यायल में नर्सरी/के0 जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा का नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, फिर भी सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्त्तो का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्त्तो के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक–46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्त्तो के आधार पर **सीतामढ़ी सेन्ट्रल स्कूल, बाईपास रोड, सीतामढ़ी** को इस शर्त्त पर सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दी जाती है कि विद्यालय दो वर्षो के अन्दर अपने नवनिर्मित भवन मंझौलिया, डुमरा, सीतामढ़ी में संचालित होगी एव वर्त्तमान में संचालित स्थल पर विद्यालय का संचालन बंद कर देगी, अन्यथा निर्गत अनापत्ति पत्र स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

अनुलग्नक :– जिला शिक्षा पदाधिकारी **सीतामढ़ी** का जाँच प्रतिवेदन संलग्न।

विश्वासभाजन

ह0/-

(दशरथ राम)

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

ज्ञापांक 433 दिनांक 01/06/11

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी **सीतामढ़ी** को उनके पत्रांक 756 दिनांक 31.03.2011 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31.5.11

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

आदेश

संचिका संख्या : 10/न 4–28/2011......./ विभागीय पत्रांक 433 दिनांक 01.06.2011 के द्वारा सीतामढ़ी सेन्ट्रल स्कूल, बाईपास रोड, सीतामढ़ी को सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान दी गयी थी। उक्त विद्यालय के स्थल परिवर्त्तन करने से संबंधित प्रस्ताव जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 598 दिनांक 05.05.2012 के अनुशंसा एवं सचिव, सीतामढ़ी सेन्ट्रल स्कूल, बाईपास रोड, सीतामढ़ी के अनुरोध पत्र के आलोक में **"सीतामढ़ी सेन्ट्रल स्कूल, बाईपास रोड, सीतामढ़ी"** को **"सीतामढ़ी सेन्ट्रल स्कूल, परसपट्टी, डुमरा, सीतामढ़ी"** में विद्यालय संचालन हेतु अनुमति दी जाती है।

शेष कंडिका यथावत रहेंगे एवं उक्त विद्यालय से संबंधित सभी दायित्व एवं जिम्मेबारी अब सीतामढ़ी सेन्ट्रल स्कूल, परसपट्टी, डुमरा, सीतामढ़ी वहन करेगी।

ह0/–
(बी0 के0 ओझा)
विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

ज्ञापांक.................................... दिनांक....................................

प्रतिलिपि : अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र, 2, कम्युनिटी सेंटर नई दिल्ली–110092 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(बी0 के0 ओझा)
विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

ज्ञापांक.................................... दिनांक....................................

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी को उनके पत्रांक 598 दिनांक 05.05.2012 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(बी0 के0 ओझा)
विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

ज्ञापांक 848 दिनांक 29/6/12

प्रतिलिपि : प्राचार्य, सीतामढ़ी सेन्ट्रल स्कूल, बाईपास रोड, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(बी0 के0 ओझा)
विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।
29/6/12

Attested
22/06/23

PRINCIPAL
SITAMARHI CENTRAL SCHOOL
PARASPATTI, DUMRA, SITAMARHI
PIN-843301